प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2014 प्र0सु0रि0स0 07
   दिनांक 20.6.14
2. धारा 406,409,420,467,468,471,120 बी आई.पी.सी. व 13(1)डी पी.सी. एक्ट 1988
3. (क) अपराध की घटना : 2007
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 20.06.2014 समय 4:00 पी0एम0.
   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट कम संख्या : 9
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थलः (क) पूर्व दिशा 2 कि0मी0 पंचकूला ।
6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता
   नाम नि0 सुरेश कुमार
   पिता का नाम
   राष्ट्रीयता भारतीय
   व्यवसाय
   पता थाना रा0.चौ0ब्यूरो, पंचकूला ।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
   1. श्री आर0एस0 डांडा, उपमण्डल अभियन्ता मुख्यालय श्रम एंव निर्माण प्रसंग।
   2. श्री कृष्ण कुमार शर्मा उपमण्डल अभियन्ता मुख्यालय श्रम एंव निर्माण प्रसंग।
   3. श्री आर0ग्रेवाल तत्कालीन महाप्रबनधक हरको बैंक।
   4. श्री तिलक राज ठेकेदार वासी रोड़ी जिला सिरसा।
   5. श्री चरणजीत सिंह कनिष्ट अभियन्ता हरको बैंक।

   लिंग <u>पुरूष</u>
   भाषा <u>हिन्दी</u>
8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण <u>कोई नहीं।</u>

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा मे श्री मान जी, प्रबन्धक, निवेदन है कि जांच कमांक 21 दिनांक 10.11.08 पंचकूला, विरूद्व श्री रतन सिंह तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक हरको बैंक सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा पंचकूला के विरूद्व कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पत्र कमांक 65/54/2007–5 चौकसी I दिनांक 22.10.2008, दिनांक 7.1.2009 तथा दिनांक 06.06.11 की अनुपालना मे दर्ज रजिस्टर की जाकर महानिदेशक रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला के पृष्ठाकन

7920/I–5/रा0चौ0ब्यूरो ह0 दिनांक 20.6.11 अनुसार श्री सुरेन्द्र सिंह उपमण्डल अभियन्ता हरको बैंक वासी मकान न0 21 जी.एच.एस 92 सैक्टर–20 , पंचकूला की शिकायत के आधार पर दर्ज रजिस्टर होकर पड़ताल हेतु प्राप्त हुई थी जिसमे अन्य आरोपो के ईलावा यह भी आरोप था कि श्री रतन सिंह प्रबन्ध निदेशक हरको बैंक द्वारा प्लाट न0 1 व 2 सैक्टर 17, पंचकूला, पर करवाए गए निर्माण मे यूनिस्टोन टाईलज के रेटो के कार्य मे निर्वाचन सदन बिल्डिंग सैक्टर–17, पंचकुला की अपेक्षा 5 गुणा रेट ठेकेदार को देकर, 50,00,000 रू0 की राशी का नुकसान हरको बैंक को पहुंचाया । जांच से पाया गया कि बी.ओ. डी. ने अपनी मिटिंग जो कि 08/10–5–2007 श्री डी.एस. देसी आई.ए.एस कमीशनर एंव सचिव कोआपरेटिव विभाग हरियाणा कम चेयरमैन की अध्यक्षता मे हुई और प्रस्ताव न0 18 के मुताबिक प्लाट न0 1 व 2 पर भवन निर्माण के लिए फैसले लिए गये । पैनल आर्कीटैक्ट मै0 आनन्द एण्ड आनन्द आर्कीटैक्ट ने 28.5.07 को 114.24 लाख रू0 का जो अनुमान तैयार किया। वह रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा ने अपने पत्र क्रमांक न0 25/1/2007 सी–4/5873 दिनांक 11.6.07 अनुसार पलिन्थ एरिया रेटस पर अनुमति प्रदान की थी । जिस पर प्रबन्धक निदेशक हरको बैंक ने पत्र न0 निमार्ण 11/2007–08/9169 दिनांक 20/7/2007 द्वारा अपनी सहमति जताई है इसके बाद हरको बैंक ने दिनांक 23.7.07 को प्रबन्धक निदेशक श्रम एंव निर्माण प्रसंग हरियाणा के साथ इस बिल्डिंग को बनाने का अनुबन्ध कर लिया, कार्य की DNIT मैर्सज आनन्द एण्ड आनन्द द्वारा तैयार की गई । जो प्रबन्ध निदेशक हारको बैंक द्वारा दिनांक 6.8.07 को अपरूवड की गई । जिसमे कुल 58 आईटम दर्ज है । जिसमे युनीस्टोन टाईलज का आईटम नही है। जिसके आधार पर हरको बैंक के इस रिहायशी भवन के निर्माण के लिए प्रबन्ध निदेशक श्रम एंव निर्माण प्रसंग ने 116 लाख रू0 कीमत की निविदाएं आमंत्रित कर दिनांक 10.8.07 को खोली, इस कार्य के लिए 4 ठेकेदारो ने अपनी निविदायें दी , इन मे से मैसर्ज तिलक राय कनट्रैक्टर सिरसा के रेट न्यूनतम पाये गये, इसके रेट 26.86 % above (HSR+CP)and 28.40% above The N.S items . जिसकी कुल कीमत 1,40,77,255/–रू0 बनती थी , ठेकेदार से 20.8.2007 को बातचीत की गई जिसने रेट घटाने से मना कर दिया । प्रबन्ध निदेशक हरको बैंक द्वारा रेट ज्यादा होने पर टैण्डर स्थगित कर दिये। निविदाए पुनः आमन्त्रित कर दिनांक 31.8.07 को खोलनी निश्चित की गई थी। जिसको एक कोरिजडम के तहत स्थगित करके टैण्डर खोलने की तिथि 7.9.07 को निश्चित कर दी गई , इस सम्बन्ध मे प्रबन्ध निदेशक हरको बैंक श्री रतन सिहं द्वारा पत्र क्रमांक 12179 दिनांक 5.9.07 के अनुसार रिवाईस डी.एन.आई.टी व अनुमान व ऐनालासिज रेट प्रबन्ध निदेशक श्रम एंव निमार्ण प्रंसग को भेजे गये, जो दिनांक 6.9.07 को समय 4:50 पी.एम. पर प्रसंग मे प्राप्त हुए । रिवाईज डी.एन.आई.टी मे कुछ एन.एस.आईटमस जैसे कि यूनीस्टोन टाईल की आईटम शुन्य संख्या व शुन्य रेट के साथ जोड़ दिये गये जो कि दिनांक 6.8.07 को अपरूवड किये गये अनुमान व मूल DNIT का हिस्सा नही थी । निविदाएं आमंत्रित करने के प्रावधान मे श्री आर.

एस. डांडा एंव निर्माण प्रसंग हरियाणा पंचकुला चैक करने मे असफल रहे, एन.एस. आईटम जो अपरूवड मुल DNIT अनुमान का भाग नही थे तथा जो रिवाईस अनुमान व DNIT हारको बैंक व निमार्ण प्रसंग मे अनुबन्ध के क्लाज 2 मे साफ लिखा है कि तकनीकी अधिकारी प्रावधान को चैक करके टैण्डर काल करें। प्रबन्ध निदेशक हरको बैंक श्री रतन सिंह व प्रबन्ध निदेशक श्रम एंव निर्माण प्रसंग श्री सतबीर सिंह शर्मा ने टैण्डर के लिए जिस कमेटी को नियुक्त किया उसकी नोटिंग फाईल विभाग ने उपलब्ध नही करवाई टैण्डर पर किये हस्ताक्षरो के आधार पर टैण्डर कमेटी के सदस्यो श्री आर.एस.डांडा, श्री के.के. शर्मा ए.डी.ओ. श्रम व निर्माण प्रंसग तथा श्री चरनजीत सिहं जे.ई., श्री आर.एस.ग्रेवाल जी.एम हरको बैंक द्वारा जब यह टैण्डर खोले गये और निविदायें देने वाले ठेकेदारो द्वारा यूनीस्टोन टाईलज के रेट अप्रत्याशित तरीके से बहुत ज्यादा उंच्चे स्तर पर दिये हुए थे । जिसमे श्री तिलक राय कन्ट्रैक्टर के रेट 5500/—रू0 प्रति स्केयर मीटर शुन्य सख्या के साथ न्यूनतम दिये गये थे यह कमेटी पवाईंट आऊट करने मे असफल रही कि युनीस्टोन टाईल का आईटम अपरूवड DNIT का भाग नही था जिन्होने टैण्डर पर अपनी सहमति जताई जिसके आधार पर ठेकेदार शुन्य संख्या दर्शाकर उच्च रेट पर युनीस्टोन टाईल आईटम के कार्य के साथ टैण्डर लेने मे सफल रहा है। क्योंकि रिवाईज DNIT जो कि प्रबन्ध निदेशक हरको बैंक द्वारा पत्र कमांक 12179 दिनांक 5.9.07 अनुसार प्रबन्ध निदेशक श्रम एंव निर्माण प्रसंग को भेजी गई । इस DNIT को रिवाईज करने का कही पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। रिवाईज DNIT मे यूनिस्टोन टाईलज का आईटम आर्किटैक्ट मैसर्ज आन्नद एण्ड आन्नद की सहमति से कम सख्यां 58 व 59 पर शून्य सख्या (Zero Quanitity) के साथ, बिना रेटो की विवेचना (Analysis) के जोड़ा गया था उसके बाद श्री तिलक राय ठेकेदार जो कि न्यूनतम दर पर निविदा देने वाला था का केस रिकमेन्ड करके प्रबन्ध निदेशक हरको बैंक की अनुमति को भेजा गया था, जिसकी अनुमति प्रबन्ध निदेशक हारको बैंक रतन सिहं ने प्रदान करके प्रबन्ध निदेशक, श्रम एंव निर्माण प्रसंग को दिनांक 18.9.07 को भेज दी । प्रबन्ध निदेशक श्रम एंव निर्माण प्रसंग ने कार्य श्री तिलक राय कान्ट्रैक्टर को **24% above on (HSR+CP)N.S.items as per annexure 'A''** जो कि न्यूनतम रेट देने वाला था यह अलाटमैन्ट श्रम एंव निर्माण प्रसंग के पत्र कमांक 1783 दिनांक 20.9.07 अनुसार 1,35,78,804/—रू0 का कार्य अलाट कर दिया गया। Annexure 'A'' का कही पर कोई प्रलेख उपलब्ध नही है केवल टैण्डर के भाग को ही Annexure 'A'' के रूप मे प्रस्तुत किया । जबकि ठेकेदार दिनांक 10.8.07 को दिये गये टैण्डर की नैगोसियेशन के दौरान रेट घटाने से मना कर दिया था । तत्पश्चात प्रबन्ध निदेशक प्रसंग श्री चन्द्रमोहन सिंघल द्वारा पत्र कमाक 10159 दिनांक 20.10.11 अनुसार मामलें की शिकायत होने पर प्रसगं के तकनीकी अधिकारीयों से मौका पर हुए कार्य को चैक करवाकर यूनिस्टोन टाईल के रेटों की मार्किट से ऐनालाईस करवा कर 991.97 स्केयर

मीटर 15 एमएम मोटी टाईल सप्लाई व फिक्स करने का मूल्य 1410रु0 स्केयर मीटर 20 एमएम मोटी के हिसाब से 1398678 तथा 20 एम0एम0 मोटी यूनिस्टोन टाईल कें 104.73 स्केयर मीटर का रेट 939रु0 प्रति स्केयर मीटर के हिसाब से 98341रु0 यानि कुल 14,97,01.9 रु0 का फाईनल बिल न0 9 हरको बैक को भेजा जाना पाया। जिसमे साफ लिखा है कि **24,23,133 रू0** की पेयमैन्ट ठेकेदार को अधिक दी गई है। ठेकेदार अपना कार्य बन्द कर चुका है इसलिए कलाज 2 व 3 श्रम एंव निमार्ण प्रंसग के पत्र क्रमांक 3423 दिनांक 16.3.11 और पत्र क्रमाक 11926 दिनांक 7.7.11 के मुताबिक कलाज लगा कर 10 प्रतिशत पैनालिटी 13,57,880रू0 दी गई इसके मुताबिक ठेकेदार व श्रम एंव निर्माण प्रसंग के बीच झगड़ा शूरू हो गया है पत्र क्रमांक 3423 दिनांक 16.3.11 क्रमांक 1126 दिनांक 7.7.2011 अनुसार प्रबन्धक निदेशक श्रम एंव निर्माण प्रसंग ने मैर्सज तिलकराय ठेकेदार गांव व डाकघर रोड़ी जिला सिरसा को लिखित नोटिस दे दिया, जिसमे कहा गया कि आप ने 15 एम.एम मोटी और 20 एम.एम मोटी युनिस्टोन टाईलस को लाने व फिक्स करने के लिए रेट दिया था यह रेट शून्य सख्या Zero Quanitity के लिए दिया गया था यह रेट आपको भुगतान करने के लिए मान्य नही था जो कि अनजाने मे मान लिया गया और आपको पेयमेन्ट कर दी गई जिसके बारे मे इन तथ्यों का आपको पूरा ज्ञान था और आपने कभी अधिकारियों को नही बताया, आपकी सोची समझी चाल के मुताबिक **41,38,540 रूपये** केवल यूनिस्टोन टाईलज के लिए अधिक पेयमेन्ट हो गई। जो पूल, अफसरो कर्मचारियों की मिली भगत से किया गया । कार्यकारी अभियन्ता राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला की मुल्यांकन रिपोर्ट अनुसार मौका पर जो यूनिस्टोन का कार्य करवाया गया उसी की तर्ज पर वर्ष 2008 मे ही निर्वाचन सदन सैक्टर–17 पंचकूला मे लोक निर्माण विभाग रेट के हिसाब से खरीदी गई तथा ठेकेदार द्वारा 55 रू0 स्केयर फुट के हिसाब से फिक्स की गई है । सप्लीमैन्ट्री बिल न0 7 मे 963.76 स्केयर मीटर की पेयमैन्ट 5400 रू0 प्रति स्केयर मीटर के हिसाब से 52,04,304 रू0 बनती है जिसमे से कुल 47,090388 रू0 की पेयमैन्ट कर दी गई । जबकि लोक निर्माण भवन एंव सड़के मानको अनुसार यह पेयमैन्ट 1230.53 प्रति स्केयर मीटर के हिसाब से 11,85,940 रू0 बनती है । फाईनल बिल न0 9 मे विभाग द्वारा मौका पर 991.97 स्केयर मीटर 15 एम.एम मोटी युनिस्टोन टाईल तथा 104.73 स्केयर मीटर 20 एम.एम मोटी युनिस्टोन टाईल की सप्लाई व फिक्स किया जाना पाया । जिसकी लोक निर्माण विभाग भवन एंव सड़के मानको अनुसार कीमत 991.97 स्केयर मीटर × 1230.53 रू0 प्रति स्केयर मीटर के हिसाब से 12,20,648.84 रू0 तथा 104.73 स्केयर मीटर × 939 रू0 प्रति स्केयर मीटर के हिसाब से 98,341 रू0 यानि कुल 13,18,989.84 रू0 बनती है । जिला न्यायवादी रा0चौ0ब्यूरो (ह0) पंचकूला की कानूनी राय के अनुसार टैण्डर मन्जूर करने वाली कमेटी के सदस्यो श्री आर.एस.डांडा उपमण्डल अभियन्ता मुख्यालय श्रम एंव निमार्ण प्रसंग, श्री कृष्ण कुमार शर्मा उपमण्डल अभियन्ता मुख्यालय श्रम एंव निर्माण प्रसंग, श्री आर.एस. ग्रेवाल तत्कालीन जनरल मैनेजर हरको बैंक सैक्टर–17, चण्डीगढ़ (सेवानिवृत 30.9.08)

श्री चरनजीत सिंह कनिष्ठ अभियन्ता हरको बैंक ने अपने–2 पदो का दुरूप्योग करके ठेकेदार मै0 तिलकराय वासी रोड़ी जिला सिरसा का अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से नियम के विरूद्व टैण्डर मे दिये गये अप्रत्याषित रेट 5500 रू0 प्रति स्केयर मी0 शुन्य संख्या के साथ स्वीकार करके कार्य की अलाटमैन्ट के लिए सिफारिश की जानी पाई है। जबकि इस एन.एस आईटम के रेटों की मार्केट के रेटो से तुलना ही नही की गई थी । जिसके आधार पर ठेकेदार यूनिस्टोन टाईलज के आईटम के अप्रत्याशित रेटों के साथ 1,35,78,804.00 रू0 का कार्य अलाट करवाने मे सफल रहा । ठेकेदार ने विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर इस आईटम के करीब 52,04,412.00 रू0 के बिल विभाग को प्रस्तूत कर 47,09,848.00 रू0 की राशि विभाग से प्राप्त की जानी पाई गई, जबकि कार्यकारी अभियन्ता रा0चौ0ब्यूरो ह0 पंचकूला की मुल्याकन रिपोर्ट अनुसार, पी0डब्लू0डी0, बी.एण्ड.आर मानको व नियम अनुसार मौका पर इस कार्य की कीमत 13,18,989.84 रू0 पाई गई इस प्रकार ठेकेदार मै0 तिलकराय ने उपरोक्त अधिकारियों / कर्मचारियों से मिलीभगत कर 33,90,858.16 रू0 की नजायज पेयमैन्ट विभाग से प्राप्त की जानी पाई है। ठेकेदार तिलकराय वासी रोड़ी जिला सिरसा व श्री आर.एस.डांडा उपमण्डल अभियन्ता जो जांच मे शामिल ही नही हुआ । उपरोक्त अधिकारियों / कर्मचारियों व ठेकेदार के विरूद्व भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की जेरधारा 13(1)डी व जेरधारा 406,409,420,467,468,471 120 बी भा0द0स0 के तहत अभियोग अकिंत किये जाने का सुझाव महानिदेशक रा0चौ0ब्यूरो,ह0 पंचकूला के पत्र क्रमांक 25622 / रा0चौ0ब्यूरो, (ह0) दिनांक 31.10.13 के अनुसार अन्तिम रिपोर्ट मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग चण्डीगढ़ को भेजी गई थी । जिसका परीक्षण करने व मुख्य मन्त्री महोदय के अनुमोदन उपरान्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 65 / 55 / 2004–05 चौकसी (1) दिनांक 14.5.14 के अनुसार श्री आर.एस. डांडा उपमण्डल अभियन्ता मुख्यालय श्रम एंव निर्माण प्रसंग, श्री कृष्ण कुमार शर्मा उपमण्डल अभियन्ता मुख्यालय श्रम एंव निर्माण प्रसंग, श्री आर.एस.ग्रेवाल तत्कालीन महाप्रबन्धक हरको बैंक सै0–17, चण्डीगढ़ (सेवानिवृत दि0 30.9.08), श्री चरनजीत सिंह कनिष्ठ अभियन्ता हरको बैंक व श्री तिलकराय ठेकेदार वासी रोड़ी जिला सिरसा के विरूद्व भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की जेरधारा 13(1)डी व जेरधारा 406,409,420,467,468,471 120 बी भा0द0स0 के तहत अभियोग अकिंत किये जाने के आदेश प्राप्त हुए है अतः श्री आर.एस. डांडा उपमण्डल अभियन्ता मुख्यालय श्रम एंव निर्माण प्रसंग, श्री कृष्ण कुमार शर्मा उपमण्डल अभियन्ता मुख्यालय श्रम एंव निर्माण प्रसंग, श्री आर.एस.ग्रेवाल तत्कालीन महाप्रबन्धक हरको बैंक सै0–17, चण्डीगढ़ (सेवानिवृत दि0 30.9.08), श्री चरनजीत सिंह कनिष्ठ अभियन्ता हरको बैंक व श्री तिलकराय ठेकेदार वासी रोड़ी जिला सिरसा के विरूद्व भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की जेरधारा 13(1)डी व जेरधारा 406,409,420,467,468,471 व 120 बी भा0द0स0 के तहत अभियोग अकिंत किया जाये तथा किसी अन्य की भी मिलीभगत पाई जाये तो मुकदमा की तफतीश के दौरान देख लिया जाये । जिस पर

महानिदेशक रा0चौ0ब्यूरो, ह0 के पत्र कमांक 6523/1–5/रा0चौ0ब्यूरो, (ह0) दिनांक 20.5.14 व पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यूरो ,पंचकूला के आदेश कमांक 275 दिनांक 21.5.14 की पालना मे तहरीर बराये मुकदमा कायमी तैयार की जाकर बादस्त मु0सि0 श्यामलाल न0 289 पंचकूला थाना रा0चचौ0ब्यूरो, पंचकूला भेजी जा रही है । अभियोग अकिंत करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्वच्छ प्रतियां इलाका मैजीस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा मे भेजी जायें व अफसरान बाला से आगामी तफतीश हेतू आदेश प्राप्त करके मिसल हवाले की जायें व अफसरान बाला से आगामी तफतीश हेतू आदेश प्राप्त करके मिसल हवाले श्री राजपाल उप पुलिस अधीक्षक को भेजी गई हस्ताः– नि0 सुरेश कुमार न0 191/एच.ए.पी थाना रा0चौ0ब्यूरो, सै0–17, पंचकूला हरियाणा अज थाना :– उपरोक्त लेख पर अभियोग अकिंकत करके नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरिया डाक अफसरान बाला वा सी.जे.एम पंचकूला की सेवा मे भिजवाई जा रही है ।

हस्ता/–
ए.एस.आई बलविन्द्र सिंह न0 709/अम्बाला
थाना रा0 चौ0 ब्यूरो, पंचकूला